

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक एफ.4(ई)/(एम-134/2008)/अलेसे -III/6309-10 दिनांक :- 18.9.14.

आदेश

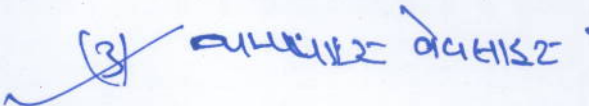
श्री मुकेश, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द के अवकाश आवेदन पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की गई अभिशंषा अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 03.09.2012 से 14.09.2012 तक कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

  
(भास्कर शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(एम-134/2008)/अलेसे -III/6309-10 दिनांक :- 18.9.14.

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द को श्री मुकेश, क0 लेखाकार के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री मुकेश, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द को सूचनार्थ प्रेषित है।



  
(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)